an>

Title: Shri Bhartruhari Mahtab called the attention of the Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to the proble regarding reported undertaking of barrage projects over river Mahanadi severely impacting flow of water into Hirakud dam in Odisha.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I call the attention of the Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The problem regarding reported undertaking of barrage projects over river Mahanadi by the Government of Chattisgarh thereby severely impacting flow of water into Hirakud dam in Odisha"

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): माननीय अध्यक्ष जी, सभा पटल पर रख दिया गया है:-

*......*श्री भर्तृहरि महताब, ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का ध्यान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर कथित बैराज परियोजनाएं चलाए जाने से ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल के प्रवाह पर भारी असर पड़ने की ओर आकर्Âिषत किया है। उठाए गए मुद्दे की विÂषय वस्तु इस प्रकार हैः-

"छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर 1983 के करार के खिलाफ ओडिशा राज्य में रहने वाले लाखों किसानों को जोखिम में डालते हुए एक तरफा कई बड़ी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पहले से निर्मित की जा चुकी परियोजनाओं में महानदी और उसकी सहायक नदियों पर सात पिक-अप वीयर अर्थत् सरादी वीयर, कलामा वीयर, खोंगासारा, सलका और बिलासपुर परियोजनाएं शामिल हैं। जबकि अर्प-भैंसाझार बैराज परियोजना सहित अम्बागुड़ा डायवर्जन, सलका डायवर्जन, लच्छनपुर डायवर्जन परियोजनाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित दो नई परियोजनाओं नामतः पैरी-महानदी अंतः राज्जीय लिंग परियोजना और तांडुला जलाशय संवर्धन स्कीम से हीराकुंड जलाशय में जल के प्रवाह पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे तटवर्तीय राज्य ओडिशा के किसानों के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का ओडिशा की सीमा के पास केलो नदी पर जलाशय आधारित बांध बनाने का भी विचार है, यह भी ओडिशा के किसानों के हितों के खिलाफ है। फिर भी, केन्द्रीय जल आयोग समेत केन्द्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने इस तरह की एक तरफा परियोजनाओं का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ओडिशा सरकार केन्द्र सरकार से इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उठाने का पहले ही आग्रह कर चुकी है कि महानदी पर एकतरफा परियोजनाओं के निर्माण को तत्काल रोका जाना चाहिए ताकि तटवर्ती ओडिशा राज्य के किसानों के हितों की रक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त, यदि छत्तीसगढ़ सरकार 1983 के करार के प्रावधानों के तहत बनी सहमति के अनुसार बातचीत द्वारा ओडिशा सरकार की पहले से शामिल किए बिना महानदी पर परियोजनाओं का निर्माण कर रही है तो इससे दोनों राज्यों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। "

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग अंतर्राज्यीय नदी/नदी बेसिनों पर नियोजित बृहत और मध्यम परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के बाद परियोजना को स्वीकार करने के लिए इस मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है। कोई भी परियोजना सीडब्ल्यूसी द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत करने के बाद ही शुरू की जानी चाहिए। लघु सिंचाई परियोजनाओं (कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम) का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

2. प्रस्ताव में उल्लिखित परियोजनाओं में से केवल टांडुला जलाशय संवर्धन परियोजना की साध्यता पूर्व रिपोर्ट और अर्पा-भैसाझार बैराज परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के दो परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्ताव हुए हैं। दोनों परियोजना प्रस्तावों का सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित इसकी 95 वीं बैठक में उचित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए केलो परियोजना की डीपीआर स्वीकृत की गई थी।

मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 28.4.1983 को हुए समझौता ज्ञापन की अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि संयुक्त अंतर्राज्यीय सिंचाई और /अथवा विद्युत परियोजना (परियोजनाओं) के सर्वेक्षण, जांच , नियोजन, निÂपादन और तैयारी की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जाए। फिर भी, उक्त बोर्ड अभी तक नहीं बनाया गया है।

ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रतिनिधियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक सीडब्ल्यूसी में दिनांक 27.06.2016 को होनी थी जिसमें महानदी बेसिन में परियोजनाओं से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। तथापि, ओडिशा सरकार के अनुरोध पर उक्त बैठक स्थगित कर दी गई है। महानदी बेसिन में विभिन्न जल संसाधन मुद्दों/ परियोजनाओं पर विचार करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2016 को एक बैठक आयोजित की जानी है। *

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I was expecting the Cabinet Minister to be present in giving the reply.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, this is not fair.

HON. SPEAKER: She has given a letter.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. No, she has given a letter and he is here.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The Minister is capable enough. I do not doubt it. ...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: We have respect for the Minister. He is very good. We are not challenging them. The matter needed to be addressed...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता। तथागत जी, मैंने जब एलाउ किया है, पतू है, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हैं? तथागत जी, बैठिए। Nothing will go on record.

â€¦(Interruptions)â€¦ *

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, पहले से रिवर इंटरलिंकिंग की मीटिंग तय थी।...(व्यवधान) वह तीन महीने में एक बार होती है। वह पहले से तय थी। मंत्री महोदया उसमें हैं।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, it is relating to the River Mahanadi which is the lifeline of Odisha. It relates to more than 65 per cent of the population of Odisha and they are being affected today. It is largely an established fact that the Government of Chhattisgarh has constructed a number of storage projects and barrage-based projects in the Upper Mahanadi basin upstream of Hirakud River without consulting the co-basin State of Odisha. Morever, these structures do not come under the ambit of the Inter-State Agreement drawn between the erstwhile State of Madhya

Pradesh and Odisha during 1983. In the agreement drawn during April, 1983, there is a list of many number of projects to be taken up by Madhya Pradesh with share from Odisha and projects to be taken up by Odisha with share from the erstwhile Madhya Pradesh, and in today's Chhattisgarh. The agreement also contains a list of the joint projects to be taken up by both the States on sharing basis.

That is why, in my notice I had mentioned a number of those projects which are affecting a large section of the Odisha population who lives on the sustenance of the river water of Mahanadi by farming. But the reply or the statement which the Minister has given does not cover at all those issues that were mentioned in my Calling Attention. That is why, I feel pained. I was expecting that the Union Government will rise up to the occasion after the Calling Attention Motion has been moved but the reply or the statement has been very sketchy, and is also moving away from the issue that we want to raise here. That is why, I may be allowed to mention threadbare how it is affecting us.

I have that agreement of 1983 with me. It was signed by both the Chief Ministers of Madhya Pradesh and Odisha. It was on 28th April, 1983 preceded by an official level meeting which was held on 27th April, 1983. Around six officers from Madhya Pradesh side and around 14 officers, including the Chief Secretary of Odisha, were there, which was followed up by both the Chief Ministers signing an agreement that what are the projects to be taken up and how it has to be shared between Madhya Pradesh and Odisha.

The concern that we are raising here today is relating to this. Of course, I need not go into those projects which were agreed upon between Madhya Pradesh and Odisha in 1983 because it was accepted that when this Hirakud dam multipurpose project was conceived in the mid 40s', at that time Madhya Pradesh had no plan or programme of harnessing the river water of the tributaries of Mahanadi or even Mahanadi.

In 1957, when the Hirakud Multipurpose project was inaugurated and made functional by the then Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru, who acclaimed this project as the temple of modern India, it was a commitment of the nation to the people of Odisha, which was languishing because of repeated flood and drought and this multipurpose project was supposed to provide irrigation, generate power and also control flood.

Later on, in the mid 80s, both the Chief Ministers thought and both the Governments thought because of popular demand that the area in which water is flowing from Chhattisgarh needs to be harnessed. So, a joint agreement was there. The government is a continuous process. We are not disputing that agreement of 1983. But there was Ib Odisha project where Madhya Pradesh share will be 25 per cent and the rest will be borne by the State Government of Odisha. There was a Sapnai MP Project; Odisha agreed to spare 70 per cent, but the Madhya Pradesh Government at that time did not take any interest in it. Kurnala Joint Project is an irrigation project of which 9,000 acre area comes in Odisha and 3000 acre area comes in Madhya Pradesh and the cost of headwork was to be apportioned proportionate to irrigation benefits. This project was also not taken up.

In respect of Uppar Jonk Odisha Project, Odisha agreed to support irrigation to Madhya Pradesh in an area of 2000 acre on charge to be determined. This has already been operational. Lower Jonk Project, Ong Odisha Project, Jira Odisha Project and Sahajbahal Joint Project were the major projects which were agreed upon by the Secretary, Water Resources with the Chief Secretaries in a joint meeting and subsequently it was confirmed by both the Chief Ministers, Mr. Arjun Singh of Madhya Pradesh and Janaki Ballabh Patnaik of Odisha.

Our complaint today is that beyond these projects, the Chhattisgarh Government has started constructing a number of projects without informing, what to talk of consultation with the Odisha Government at all. Even there is no mention of this in the Statement of the Minister. That is our complaint. This complaint is not recent, not in 2016. Madam, I would refer to a letter written by the Odisha Chief Minister regarding problem of Hirakud Multipurpose Project on 7th July, 2000 to the then Minister of Water Resources of the Union Government. There it was mentioned very clearly that MP Government, at that time Chhattisgarh, had not come into existence, should allow a flow of 2.2 mcft during non-monsoon period for irrigation and drinking water facilities. The MP Government should make arrangement to intimate in advance if there is contemplation to release one lakh cusecs of water or more to the Hirakud Dam.

When I refer to 1983, most of us who are present here from Odisha are aware as to what happened and what calamity came in 1982 when the floodgates of Chhattisgarh were opened and there was a huge flood in Mahanadi. We will never forget the calamity that struck Odisha in 1982. That is why, how to make the arrangement of flood control was decided in 1983. After this letter of Chief Minister written in July, 2000 to the Union Government, another letter was written. I am thankful that the Water Resources Minister is here. I would again mention that Water Resources Secretary of Odisha on 11th July, 2013 had written a letter to the Principal Secretary to Government, Water Resources of Chhattisgarh saying about the unauthorised construction of anicut on River Tel near Village Baburia which cover the territory of Odisha.

I was pained to hear, Madam, that some days back, after we raised the issue in 'Zero Hour', that very day, the Chief Minister of Chhattisgarh said that Odisha Government had never intimated them. That is why, I am referring to this letter of 2013. Of course, he also said that all this is of political nature. Again on 27th December, 2014, another letter was written by our Water Resources Secretary to their Water Resources Secretary, mentioning about unauthorised construction in different rivers of Chhattisgarh.

Of course, on 26th April, 2016 – this is the fourth letter – our Engineering Chief wrote a letter to Chhattisgarh Engineering Chief mentioning about the DPR of Arpa-Bhaisajhar Project, in Kota District of Bilaspur, Chhattisgarh. I need not go into the details because lot of information was shared with the concerned Department of Chhattisgarh. The fifth letter was written on 2nd July, 2016 saying about the construction of good number of projects in Mahanadi basin, upstream of Hirakud Dam, without prior intimation to co-basin State of Odisha. This was written by Engineering Chief, Water Resources, Odisha to the Engineering Chief of Chhattisgarh.

Subsequently, our Chief Minister wrote a letter to the hon. Prime Minister on 4th July, 2016 mentioning what is going to be its fallout on 65 per cent population of Odisha. On 5th July, again, our Water Resources Secretary has written a complaint, or it should be treated as a complaint before the Central Water Commission, mentioning that the Kalma Barrage, Saradi Barrage, Basantpur Barrage, Seorinarayan Barrage, Mironi Barrage, Samoda Barrage are all being constructed without any intimation to Odisha. We hear that Chhattisgarh Government is saying that these are all minor projects and for minor projects, they need not inform anyone, but when we club these six projects together, do the area of these reservoirs not amount to as big as a large project?

We understand that for a medium irrigation project and a large irrigation project, you need to come to CWC and CWC will also intimate the respective co-basin States, but while building this type of small projects, you are not only controlling the water during non-monsoon period, but you are also generating power. All these projects, which I had mentioned, are basically not to provide irrigation facility and not to provide drinking water facility, but are purely and purely – this is my allegation – to generate energy to set up industry. If that is the priority of Chhattisgarh Government, let them come out in open and say this. What do they have to say about that? The downstream - a large area in Jharsuguda District, the Hirakud reservoir and a large part of Bargarh District - is bereft of drinking water. It has a natural flow of water and Mahanadi is such a river that water flows throughout the year; unlike other peninsular rivers, water flows throughout the year. We have gush of water during the monsoon, no doubt, but even in non-monsoon period also, water flows and that is what was considered when Hirakud Project was conceived that there will be non-monsoon water flow to the reservoir so that irrigation potential during Rabi crop can also be harnessed. During the last 10 or 12 years, that has been hampered.

Arpa River, about which I just mentioned, is a tributary of Seonath, which is again a major tributary of River Mahanadi. The Arpa Bhaisajhar Barrage Project DPR was forwarded by the Government of Chhattisgarh to Odisha on the insistence of the Central Water Commission. While studying the DPR, it was learnt that on the River Arpa itself, there are in total seven irrigation projects planned by Chhattisgarh, which are contemplated to function in an integrated manner. Out of these seven, three projects have already been constructed, namely, Khongasara Diversion Project, Salka Project, and Bilaspur Diversion Project; and four number of projects, namely, Ambaguda Diversion Project, Salka Diversion Project, Arpa-Bhaisajhar Barrage Project and Lachhanpur Diversion Project are under construction.

The basic concern of Odisha has already been intimated to Chhattisgarh. In the absence of DPR, all other projects in Arpa River which, in combination, constitute an integrated scheme arranged in a cascading fashion to completely harness the entire catchment of 2,200 sq. km. of Mahanadi Basin. It is not possible to work out the combined impact of the integrated scheme on the downstream Hirakud River. I would urge upon the Minister, with the expertise that is under your command, to find out and let us know what its impact will be, not only during monsoon time, but also during non-monsoon time.

There is Urmai Anicut project across River Tel. This is another interesting aspect. What is happening in this country? This is a major tributary of River Mahanadi. Near Baburiya Village in Nabarangpur District of Odisha, it has been taken up by Chhattisgarh Government, and upon completion of this project, two villages in Odisha will succumb to submergence during floods near the anicut and ten number of villages shall be permanently deprived of their riparian rights. There was tremendous unrest in Chhattisgarh and also in Odisha. At present, luckily and because of Lord Jagannath's grace, the project activity has stopped -- not because of us, not because of Chhattisgarh, not because of the Union Government, but because of public demand. They did not allow that work to continue. They have already started the work, but it was not allowed to continue.

Kellor Major Storage Based Irrigation Project has been approved by CWC and is already made functional, but the Government of Odisha was totally kept in dark. No intimation was given. My question is how the CWC gave approval without informing the Government of Odisha. How the ISM Directorate of CWC has given clearance to this project without intimating the downstream co-basin State of Odisha? Should I say it is a mystery? Please find out and let us know. I am seeking these answers. There are two instances where the project reports have been forwarded to Odisha by Chhattisgarh Government. We will respond to that in due course. If a meeting is being held on 29th, definitely our response would be there. But our concern needs to be noted by this House because we expect a redressal from this House.

As the Minister is present here, I would like to harp upon three to four points. The list that I have narrated here is a small exhibit of clandestinely pursuing of water sector development unilaterally by the Chhattisgarh Government in the Mahanadi basin upstream of Hirakud Reservoir without bothering to intimate Odisha about its present activities and future aspirations. For this reason, intervention from the highest institutions and from this House of Parliament is solicited. The explanation given by the hon. Chief Minister of Chhattisgarh that the projects planned and grounded by Chhattisgarh is less than 2000 hectares Culturable Command Area (CCA) and hence do not qualify to be referred to CWC is not at all acceptable. Just by using the extant norm of any project with less than 2000 hectare CCA qualifies to be a minor irrigation project no doubt; and it does not invoke the extensive scrutiny at CWC level. But, when you take all the seven number of barrage projects together constructed just upstream of Hirakud River across the main Mahanadi, the projects have multiple benefit contemplation. The major contemplation is to generate power. The industrial drawal – one would understand who has little knowledge about these power projects – will suck water round the year even during non-monsoon debarring Hirakud Reservoir from getting a drop of water during non-monsoon time.

Similarly, in the case of Arpa River, there have been seven number of barrages conceived, constructed in a cascading manner which but constitutes a single integrated project systematically planned to utilise every drop of contribution from the non-monsoon yield from the entire Arpa catchment of 2200 square kilometres.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Once grounded, the sum total impact of this integrated scheme consisting of seven number of barrages shall be devastating on the lean season inflow of Hirakud Reservoir. The sum total utilization from these barrages need to be clubbed to evaluate the holistic impact on Hirakud Reservoir.

Thirdly, Kello major irrigation project at CWC was given clearance behind our back. It is a co-basin stream of Mahanadi and it is really astonishing. The moot question is as to why the CWC which is supposed to play a lead role with respect to preserving order while according clearance by resolving inter-State conflicts flouts the norm as has been done in this instant case. Where do the States go for redressal? Our demand here is that there should be free flow of water during non-monsoon period. We are asking water to irrigate our fields, to engage our farmers, to get more yield during *Rabi* crop, to provide drinking water to basically the tribal-populated districts. For the last two to three years, they say that water is not flowing. There is no water. A large number of lift irrigation points which used to lift water from those rivers, have become defunct. I had mentioned the other day that water plays a vital role in meeting the drinking water requirement of Sambalpur and nearby districts apart from meeting the *Rabi* irrigation requirements. Kello Irrigation Project has already been executed. Its share in reducing the mon-monsoon inflow, the Pairi-Mahanadi intra-state link and the Tendula Augmentation Scheme and so many unknown structures have already been contemplated by Chhattisgarh but not yet

known to Odisha. This will create further impact on this megare receipt of 1.38 Mcft of non-monsoon flow.

HON. SPEAKER: Please conclude now. Other Members also have to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The Prime spirit of the Inter-State River Dispute Act demands that the existing and contemplated commitments of this downstream structure is to be respected before taking up any intervention measures in the upstream of it. I have narrated what has happened during last so many years. Since 2000 till 2016, our expectation has been that the Government will rise to the occasion and will come to do justice for Odisha. We are not making it a political issue. We do not want to make it a political issue. It is a human problem which has been created by a Government which has the mandate of Chhattisgarh. But they have acted in an illegal manner. Is this Government not competent enough to intervene? Are there no institutions in the Government of India to intervene in this matter?

From our side, we have repeatedly approached the Chhattisgarh Government, but our request has fallen on deaf ears. Subsequently, if it is necessary, we will go to a Tribunal. But how has this happened and why has it happened despite our repeated approach to the Chhattisgarh Government? We have waited for long as Mahanadi is the lifeline covering 15 of the total 30 districts of our State, involving or affecting more than 65 per cent of our population where large area of rabi crop is being affected today, drinking water is being affected today. Can we allow the upstream State, and that too a Government, to act in an illegal manner with the Government of India having no role to play?

When Hirakud Multipurpose Dam Project was conceived and inaugurated in 1948 and in 1957 respectively, the whole catchment area was Chhattisgarh. Everybody knew it. When you are going to stop flow of water to Hirakud, you are going to kill or in a way you are in the process of killing the Hirakud Project. Should we believe that because Hirakud Project has already completed 50 years of its service, there is no need of Hirakud? This is the question which I would pose before this Government. I would expect from the Government a better judgement, a sane judgement and justice. Thank you.

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी ने काफी बातें रखी हैं। उन्हें अपने राज्य उड़ीसा की चिंता है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और मेरे जिले से ही महानदी निकलती है। लेकिन इसका जितना लाभ छत्तीसगढ़ को होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो पा रहा है या हम यूं कहें कि इसके पहले जितनी भी सरकारें रहीं, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं की। सिंचाई की क्षमता नहीं बढ़ी इसलिए महानदी में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने जो विकास किया है, आवश्यकता के अनुसार अब हमें कुछ जगह बांधना पड़ता है। केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ कानून बनाये हैं। माइनर, मेजर और माइक्रो इरिगेशन जितने भी छत्तीसगढ़ में अभी बने हुए हैं, हम कहें कि एक स्टाप डैम जैसा बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जो कि उदाहरण के रूप में कई बार आई हैं, अम्बागुड़ा, सलका, लक्षणपुर, खोंगसरा ये इतने छोटे प्रोजैक्ट्स हैं कि इनसे नदी प्रभावित नहीं होगी। जब कि महानदी ओडिशा के हीराकुंड डैम तक जाती है, जिसका 80औ पानी छत्तीसगढ़ से हो कर जाता है, लेकिन हम मात्र उसका 25औ पानी ही उपयोग कर पा रहे हैं। अगर इतनी कम मात्रा में और पहले से सुविधा नहीं होने के कारण वह हो रहा है।

भर्तृहरि महताब जी ने बार-बार कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको कोई सूचना नहीं दी। 28 अप्रैल, 1983 को एक समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई गलती कर रही हो तो इस समझौते के अनुसार ओडिशा सरकार को भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम तो नियम के अनुसार जो हो रहा है, वही कर रहे हैं। जैसे केलो परियोजना एक मेजर प्रोजेक्ट है। केलो परियोजना एक मेजर प्रोजेक्ट होने के कारण हमने केंद्रीय जल आयोग से परमिशन मांगी और आयोग ने अनुमति दी। लेकिन जब माइक्रो में या माइनर में केंद्रीय जल आयोग की अनुमति नहीं होती तो हम कैसे आदेश लेंगे? इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अपने हित के लिए जो भी काम कर रही है, ठीक कर रही है। अगर ओडिशा सरकार को उसमें कोई आपत्ति है तो हमारे मुख्य मंत्री जी ओडिशा के मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह एक विशेÂष प्रश्न है, इसलिए स्पेशल केस के नाते मैं बोलने के लिए अनुमति दे रही हूँ। बहुत थोड़े में अपनी बात रखते हुए प्रश्न पूछते जाइए। वह अच्छा रहेगा।

श्री अभिÂषेक सिंह।

श्री अभिÂषेक सिंह (राजनंदगांव) : मैडम, जब भी किसी बहुत महत्वपूर्ण विÂषय पर चर्चा होती है, तो उस चर्चा के दो गंभीर पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि कंटेंशन किस बात का है। दूसरा पहलू होता है कि इंटेंशन क्या है। मैं कंटेंशन के ऊपर कुछ फैक्ट्स आपके माध्यम से पूरे सदन के सामने रखना चाहूंगा।

मैडम, जिस छह बैराज प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा अभी शुरू हुई है और श्री महताब जी ने बड़ी गंभीरता के साथ विस्तार में उनका उल्लेख किया है, आदरणीय मंत्री जी भी यहां बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यदि हम उन सभी छह बैराज के इरिगेशन कैपेसिटी को जोड़ भी दें, तब भी टोटल इरिगेशन कैपेसिटी मात्र 3100 हैक्टेयर होती है। अपने आप में हरेक प्रोजेक्ट दो हज़ार हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता से कम है, जो माइनर में आता है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र सीडब्ल्युसी की ओर से 13 जुलाई को प्राप्त हुआ था, जिसमें अरपा-भैसाजार, जो छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है, उसके डीपीआर को सीडब्ल्युसी ने क्लियर किया है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि हीराकुंड डैम की लाइव स्टोरेज कैपेसिटी जो है, वह मात्र 5.4 बिलियन क्युबिक मीटर है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डैम है, महत्वपूर्ण डैम है और हमारे पड़ोसी राज्य होने के नाते मैं उड़ीसा के सभी आदरणीय एवं सम्मानीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में न सिर्फ सामाजिक, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी महानदी दोनों राज्यों के लोगों को जोड़ने का काम करती है। दोनों राज्यों के लोगों की समृद्धि का एक विशेÂा अवसर प्रदान करती है। आज जब सदन में चर्चा हो रही है तो मैं इस उम्मीद में था कि चर्चा न सिर्फ हमारे दोनों राज्यों के बीच में यह जो विÂाय है, उस पर फोकस होगी, बल्कि पूरे देश में इंटर-स्टेट रिवर वॉटर को ले कर आज से नहीं दशकों से डिस्प्युट होते आ रहे हैं, उस पर भी होगी। सदन और हम सबके पास यह अवसर है कि इस विÂाय पर गंभीरता से विचार करते हुए, कुछ ऐसे समाधान की ओर हम इशारा करें जो न सिर्फ इन दो राज्यों को ले कर बल्कि सभी देश के अन्य राज्यों को एक सही दिशा पर ले जाएं।

महोदया, उस लेटर में मैं भटक गया, उस लेटर में सीडब्ल्यूसी का कहना था कि मानसून पीरियड में महानदी के पानी से हीराकुंड डैम की ओर जो पानी जाता है, वह इतना है कि हीराकुंड डैम को तीन बार खाली करके फिर से भरा जा सकता है, यह इस बात से बहुत स्पÂष्ट है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि the 10 year average annual flow at Basantpur side, जो हीराकुंड डैम के अपस्ट्रीम में है, उसमें वर्ष 1971-72 से जो वाटर फ्लो के ट्रेंड का एनालॉसिस किया गया, उसके माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि it does not show any decreasing trend in spite of the projects taken up for construction by the Government of Chattisgarh, as contended by the Government of Odisha.

महोदया, इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जब फैक्ट्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की ओर से भी एक रिवर बेसिन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया किस राज्य में कितना है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया 55 परसेंट के आसपास है और वहीं हम कम्पेयर करें ओडिशा से तो 45 परसेंट ओडिशा में महानदी का ड्रेनेज एरिया है। वर्तमान में जो पानी हीराकुंड डैम को जाता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए जाता है, महानदी से जाता है, वह 35 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए इरीगेशन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसका कुल उपयोग मात्र 9 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब यह है कि महानदी के पानी का मात्र 20 प्रतिशत उपयोग हम करते हैं और लगभग 80 प्रतिशत 35 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ओडिशा में हीराकुंड डैम और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स में जाता है। इससे भी यह बड़ा स्पष्ट है कि यदि अपने राज्य के लिए या अन्य राज्यों में भी जो ऐसी डिबेट हो रही है जरूरत है कि सही प्रिन्सिपल्स के माध्यम से ऐसा हो।

महोदया, मैं एक विषय और आपको सामने रखना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : बहुत लम्बा मत बोलिएगा।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please take your seat.

श्री अभिÂषेक सिंह: वर्ष 1983 में जिस एमओयू का उल्लेख श्री महताब जी ने किया है, उस एमओयू के प्वाइंट नम्बर 11 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि establishment of Joint Control Board जिसका उद्देश्य यह था कि बेसिन पर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस, रिव्यू, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और अन्त में उल्लेख है कि to discuss and resolve any issue. वÂर्ष 1983 से आज वर्ष 2016 आ चुका है और आज तक ओडिशा की सरकार की ओर से establishment of Joint Control Board के गठन को लेकर मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई पहल की गई है। चूँकि कुछ विÂषयों का उल्लेख श्री महताब जी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष : उन बातों का रिप्लाई तो मंत्री जी दे देंगे, आप केवल अपनी बात बता दीजिए।

श्री अभिषेक सिंह: महोदया, आवश्यकता आज इस बात की है, कन्टेन्शन फैक्ट्स तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अब इन्टेंशन की बात आती है। अभी तक जो भी सवाल उठाए गए है या अभी तक जो भी कम्युनिकेशन इन दो राज्यों के बीच में हुआ है, इस विÂषय की गम्भीरता को लेकर राजनैतिक रूप से कोई गम्भीर प्रयास ओडिशा सरकार की ओर से हुआ हो, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। हो सकता है कि आने वाले समय को देखते हुए इस विÂषय को सदन में उठाना आवश्यक समझा गया हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। Nothing political, please.

â€¦(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: इसके क्या मायने हैं? मैंने 7 चिट्ठियों का ब्यौरा दिया। About seven letters starting from 2000 till 2016.

HON. SPEAKER: Bhartruhariji, I can understand. Abhishek Singhji, now you conclude.

श्री अभिÂषेक सिंह: मैडम, जिन 7 लैटर्स की बात हुई है, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके कोई प्रश्न हों तो बोलिये।

श्री अभिÂषेक सिंह: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, और माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश में कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार इंटरस्टेट रिवर वाटर के डिसप्यूट में हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार ने इस देश के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। मैं उनको बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपस में बैठकर एक दूसरे के राज्यों के इश्यूज़ को समझकर वाटर शेयरिंग का एक सकारात्मक समाधान निकाला गया है। मैं केन्द्र सरकार से और आदरणीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं कि रिवर बेसिन ऑर्गनाइज़ेशन्स को ही मूल यूनिट मानकर, क्योंकि एक रिवर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है, वह रिवर बेसिन या सब-बेसिन होती है। उनको लेकर हम पूरे देश के रिवर बेसिन आर्गनाइज़ेशन्स का गठन करें और एक मज़बूत लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के माध्यम से आने वाले समय में इस देश के लाखों करोड़ों किसान और नागरिक, जो लगातार पैंडिंग केसेज़ के चलते वॉटर रिसोर्सेज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस सरकार से, आदरणीय मंत्री जी के प्रयास से और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व से इस देश के सामने एनडीए की सरकार एक मज़बूत और बेहतर उदाहरण पेश करेगी। धन्यवाद।

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में इंद्रावती के बारे में बोलना चाहता हूँ। 1977 में जो समझौता हुआ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के समय, ओडिशा और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच जो समझौता हुआ, उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज की तारीख में कितना पानी मिल रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्या मैडम आप अलाऊ करेंगे?

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): मैडम, इनका नोटिस है तो आप अलाउ कर दीजिए, लेकिन मेरा नोटिस था, मुझे पहले अलाउ कर दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you after Kalikeshji. ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं होते। कलिकेश जी, केवल प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I give you my word that I will take the least amount of time amongst all the speakers that have spoken.

Madam, they say that water is the oil of tomorrow. As wars have been fought for the last 30 or 40 years for oil, for the next 30 or 40 years, there will be fight for water. In that context, the subject gains even more importance.

Madam, China on the river Brahmaputra is building four dams, the river is called Tsangpo in China, thereby affecting the flow of the river Brahmaputra into India. Our Government has raised strong objections to that by citing the rule that before you build dam upstream, you have to take the consent of regions or the countries downstream. This has been the major source of objection and dispute between India and China. However, in India's case when the concept of Mahanadi comes in, when Chhattisgarh and Odisha comes that same principle evaporates. Is it different when we look at other countries and is it different when we look at States within India?

Madam, a lot of data has been provided about the flow of the water. The same data has been provided by China also to justify their dams.

माननीय अध्यक्ष : यहाँ यह बात नहीं है। आप अपनी बात रखें। बहुत लंबी लंबी बात न करें।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam, I am just trying to give you the double speak of the Government *vis-Ã -vis* a foreign country and *vis-Ã -vis* a dispute between our States. प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं। अगर हम किसी देश के विरुद्ध कोई आब्जैक्शन लें किसी स्तर पर, तो वही स्तर यहाँ भी जुड़ना चाहिए।

Madam, the fact is that the Mahanadi provides 50 per cent of the irrigation of Odisha. The Hirakud reservoir irrigates four major districts – Sambalpur, Bargarh, Bolangir and Sonpur which belong to my Constituency.

The fact is that in 1983, as everybody has stated, ...(*Interruptions*) a treaty was signed, yet without adhering to the treaty, the barrages and dams are being built. The hon. Minister mentioned that a Joint Control Board was to be formed...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you have any particular question you may ask, otherwise you may sit down. भाÂषण नहीं देना है। अगर आपको कोई पर्टीक्युलर बात बोलनी हो तो बोलें। ऐसे नहीं होगा कि हर कोई लम्बा भाषण दे।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Without the Joint Control Board being formed, can the Central Water Commission allow, or the Government of India,

the Ministry of Water Resources allow dams to be constructed when the bilateral treaty which indicated certain procedures have not been completed? Our request is that let the procedures be completed and let us do a complete survey and an Impact Assessment under the aegis of the Central Government and the Central Water Commission and only after that future construction of dams should be allowed.

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, ask only pertinent questions.

...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam Speaker, I am not going to give any history or geography or anything else. Two words were used, `contention' and `intention'. Is the contention that the non-monsoon flow in the Mahanadi should be stopped? Is the intention to kill Hirakud and thereby weaken Odisha just because the people of Odisha have opted to take a different path in their socio-political life?

Madam, as you know we have the Polavaram project where there is a lot of trouble and we have been discussing this in the House and you have been kind enough to permit that. Now, with the Mahanadi issue added to it, the problem that we feel is this. Is it possible that our neighbours want to weaken us by simply choking our drinking water and our irrigation purpose water? This is unacceptable. Why I am saying this is that, as the hon. MPs mentioned earlier, the quantum of irrigation for which the water is being used is very small. We accept that. So, where is the water going? In one district called Jangir Champa in Chattisgarh there are very many major projects coming up like M/s Ispat Industries Limited, M/s Jindal, M/s Torrent, M/s Moser Baer, M/s GMR Energy, M/s Lanco Amarkantak, M/s ESSAR and NTPC and the interesting part is that for a lot of these industries Gujarat Mineral Development Corporation, GMDC, will be producing the power. So, the intentions are very clear as to why the people of Odisha are being choked of their drinking water. We are primarily using the water for irrigation and drinking. This is an old project.

HON. SPEAKER: You are not asking anything.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, therefore, I would beseech that you intervene in the matter.

Thank you.

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को, सी.डब्ल्यू.सी. को या मिनिस्ट्री को इसमें कहां एक्शन में आना चाहिए था, उनका रोल कहां से शुरू होता है या उनके अधिकार क्या हैं? सी.डब्ल्यू.सी. या मिनिस्ट्री का रोल तब शुरू होता है जब ओडिशा सरकार मिनिस्ट्री को कहती कि कुछ गलत हुआ। उससे पहले कहीं भी मिनिस्ट्री का या सी.डब्ल्यू.सी. का कोई रोल नहीं है। अभी डेढ़ महीने पूर्व ओडिशा सरकार का पहला पत्र केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है। उससे पहले हो सकता है कि ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया हो। लेकिन, केन्द्र सरकार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

महताब जी ने जिन बड़े डैम्स का ज़िक्र किया तो जो माइनर इर्रीगेशन डैम्स हैं, वे पहले खुद यह कह चुके हैं कि वह 2000 हेक्टेयर से नीचे हैं। अगर वे कभी सी.डब्ल्यू.सी. तक न आते तो केन्द्र सरकार का उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वह प्रदेश का मामला है। वे उसे कभी भी बना सकते हैं। जो मेजर और मीडियम डैम्स हैं, अरपा के बारे में उन्होंने विशेष रूप से कहा, वर्ष 2013 में इनकी डीपीआर केन्द्र सरकार को जमा हुई। वर्ष 2014 में मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डॉयरेक्शन दी कि डीपीआर ओडिशा सरकार के साथ साझा की जाए। वर्ष 2015 में ओडिशा सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा डीपीआर भेज दी गई। उन्होंने यह सूचना दी है। वर्ष 2015 के बाद अभी तक डीपीआर वहां गई, सीडब्ल्यूसी ने पहली बार कहा है कि यह टेक्निकली ठीक हो सकता है, लेकिन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है कि डैम बनना चाहिए, उसने अभी तक रिकमेंडेशन नहीं दी है। बिना रिकमेंडेशन के बावजूद, एक स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है कि रिकमेंडेशन के बाद ही डैम बनना चाहिए, उसके बगैर छत्तीसगढ़ सरकार ने डैम पर काम शुरू किया। यह एक प्वाइंट इसके बारे में है। ...(व्यवधान)

दूसरे जो दो प्वाइंट्स महताब जी ने उठाए हैं, तेंदुला, पेरी ...(व्यवधान) महताब जी, एक मिनट। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not proper. Nothing will go record. Only the reply of the hon. Minister will go on record.

*â€¦(Interruptions) â€¦ **

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, सब लोग बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपस की बात बातें बाद में हो जाएंगी। ...(व्यवधान) तथागत जी, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मैं टू दि प्वाइंट बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आपस की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*â€¦(Interruptions) â€¦ **

डॉ. संजीव बालियान : दो डैम्स की बात और आई थी - पेरी, महानंदी। जिसकी डीपीआर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 04.02.2016 को ओडिशा गवर्नमेंट को भेज दी गई है। उसकी कोई अप्रूवल नहीं है। आपको डीपीआर भेज दी गई है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट तेंदुला है, जिसकी डीपीआर 02.09.2015 को ओडिशा सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भेज दी गई।

केली प्रोजेक्ट का जिक्र आया, वर्ष 2006 में केली प्रोजेक्ट का डीपीआर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओडिशा सरकार को दी गई। वर्ष 2009 में उसकी अप्रूवल हुई। आज उसका जिक्र हो रहा है। मैं यह बात कहना चाहूंगा। अगर ऑब्जेक्शन होना था तो वर्ष 2006 और 2009 के बीच में ओडिशा की तरफ से ऑब्जेक्शन आना चाहिए था।

इसमें कुछ प्वाइंट्स हैं। इनमें काम नहीं शुरू हुआ। अभी तक सब के सब प्रोसेस में हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। इसके बाद हमारा काम क्या है, डेढ़ महीने पहले ओडिशा सरकार से सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यहां से ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया कि आप आकर, बैठकर बातचीत कीजिए क्योंकि केन्द्र सरकार ऐज ए मीडिएटर का रोल प्ले करती है। छत्तीसगढ़ की तरफ से आया कि हम आ जाते हैं। ओडिशा की तरफ से एक महीने का समय मांगा गया कि हम जुलाई के लास्ट में आना चाहते हैं। पहली मीटिंग 27 जून को थी, अब अगली मीटिंग 29 जुलाई को फिक्स कर दी गई है, जिसकी दोनों सरकारों को सूचना दे दी गई है। एक साल का समय केन्द्र सरकार के पास है। दोनों से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा। अगर रास्ता नहीं निकलता तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जो एक अधिकार है, इसके अलावा कोई कानून केन्द्र सरकार के पास नहीं है कि हम ट्रिब्यूनल का गठन करें।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा नॉन मानसून फ्लो का बार-बार आया, क्योंकि मानसून फ्लो के दौरान किसी को कोई समस्या मेरे विचार से नहीं है। उसके बारे में जब दोनों पक्ष बैठेंगे, केन्द्र सरकार बीच में होगी, एक स्टडी की जा सकती है कि नॉन मानसून फ्लो में ओडिशा का कोई नुकसान है या नहीं है। यह सबको क्लियर है कि मानसून के दौरान कोई नुकसान इन डैम्स के बनने से नहीं है। सिर्फ समस्या नॉन मानसून फ्लो की है। उसके बारे में कोई स्टडी की जा सकती है। दोनों पक्ष बैठ सकते हैं और कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not like this. भर्तृहरि जी आपने बहुत विस्तृत में बोला है। इस प्रकार बीच में बोलना उचित नहीं है।

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, आपका सवाल ठीक है। लेकिन दो हजार हेक्टेअर से नीचे वाले कोई भी माइनर प्रोजेक्ट सिंगल-सिंगल होकर बड़े हो सकते हैं। लेकिन दो हजार हेक्टेअर से नीचे कोई भी माइनर प्रोजेक्ट ...(व्यवधान) ये एक ही रिवर पर हो सकते हैं, लेकिन दो हजार से नीचे का माइनर प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं आता है और आपको भी सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। दो हजार हेक्टेअर से ऊपर आपको सूचना देने का प्रावधान भी है, वह सीडब्ल्यूसी को भी प्रावधान है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 1983 से ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बना, यह सबसे बड़ी समस्या है। अगर वह ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप बना होता दोनों सरकार के बीच में, तो यह समस्या न आती। यह केन्द्र सरकार का बीच में जरूर निवेदन रहेगा कि जो नहीं हो पाया, कम से कम अब बन जाए, जिससे लगातार ये समस्यायें आगे न पैदा हों। अभिÂषेक जी ने एक बात और कही कि आने वाले समय में डिस्प्यूट और बढ़ेंगे, क्या कोई ऐसी अथारिटी होगी? हां, यह इस सदन का काम है। इस बारे में विचार होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये समस्यायें बढ़ेंगी। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not like this. Hon. Minister, you may continue with your reply. Nothing will go on record.

*â€¦(Interruptions)... *

13.00 hours

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, मैं वह कमिटमैंट कर सकता हूं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है या जो कानूनन केन्द्र सरकार को दिए गए हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: फिर चर्चा का क्या फायदा है?...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : चर्चा का फायदा यह है कि आपने बात उठाई। आप बताइए कि जब पिछले महीने बुलाया गया था तो एक महीने का समय क्यों लिया गया। एक महीने का समय ओडिसा सरकार ने लिया।...(व्यवधान) आपका लैटर आते ही केन्द्र द्वारा तुरंत बुलाया गया था।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

â€¦(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : अब तीन दिन की बात है, तीन दिन बाद आपकी मीटिंग है। आप 29 तारीख को यह बात उठा सकते हैं बजाए आज ऐश्योरैंस लेने के, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।...(व्यवधान) आप 29 तारीख को ज्वाइंट मीटिंग में यह बात रख सकते हैं और इस बात पर सहमत हुआ जा सकता है।...(व्यवधान)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। मैं सिर्फ एक ही बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं। एक रिवर इंटरलिंकिंग की बैठक चल रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने बहुत सुन्दर ढंग से सारी बातों का उत्तर दिया है।

दो युवा सांसदों ने एक बात कही है कि भविÂष्य में पानी लड़ाई का कारण बन सकता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्यों न हम एक ऐसी भावना की रचना करें कि पानी लड़ाई का कारण न बने बल्कि आपस में प्यार का कारण बने। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैठक होने वाली है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दोनों पक्ष उपस्थित होने वाले हैं, बहुत जल्दी वह बैठक हो जाएगी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करती हूं। उस बैठक में इसका ऐसा समाधान निकाल लिया जाएगा जिससे न ओडिशा को शिकायत होगी और न छत्तीसगढ़ को शिकायत होगी, क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमें यह निर्देश दिया है कि सबका साथ और सबका विकास। अगर इस देश का विकास करना है तो विकास में अग्रणी भूमिका जल की है। इसके लिए एक करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रावधान प्रधान मंत्री जी ने पीएमकेएसवाई के जरिए दिया है। ओडिशा में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की बहुत बड़ी समस्या है। ओडिशा हमारा बहुत ही प्रिय राज्य है। ओडिशा का ही वह भाग था जिसके लिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। उस राज्य को हम संकट या परेशानी में कैसे डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही बैठक होगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा दोनों की बात सुनकर एक उचित समाधान बहुत जल्द निकल आएगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करती हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4939/16/16]

माननीय अध्यक्ष : आज शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री दीपेन्द्र हुडा, पी. करुणाकरन, के.वी. थॉमस, सौगत राय, राजीव सातव, बी.एन. चन्द्रप्पा, के.एच. मुनियप्पा और के.सी. वेणुगोपाल से विभिन्न विÂषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं आई हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं मगर सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की गई।

शून्य काल शाम को लिया जाएगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past

Fourteen of the Clock.

<u>14.09 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Nine Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.